(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल.

(98)

03
19-12-16

श्री संदीप दुबे अभिभाषक, होशंगाबाद द्वारा आज दिनांक 19/12/2016 को प्रस्तुत।
19/12/16

R 72-PBR/17-

श्रीमति मंजुलाबाई पुत्री रामचरणलाल

निवासी टिमरनी जिला हरदा ---------- पुनरीक्षणकर्ता.

बनाम

09

27.12.16

कोमलराम गूर्जर (मृत)

वैध वारसान :-

1. निर्भय आ. स्व. कोमलराम

2. गैंदालाल आ. स्व. कोमलराम

3. इंदिराबाई पत्नि स्व गैंदालाल गुर्जर

सभी निवासी ग्राम कालपी तह. रेहटगाँव

जिला हरदा ---------उत्तरवादीगण.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता.

- -

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा प्र.क्र. 3/विविध/15-16 में पारित आदेश दिनांक 29.9.16 से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

प्रकरण के तथ्य

यह कि उभयपक्षों के मध्य माननीय न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय हरदा के समक्ष एक प्रकरण क्र. 1/अ/वर्ष 12-13 ग्राम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 72–पीबीआर/17 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–3–2017	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 29 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर से प्रकरण स्थानान्तरित किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त आवेदन पत्र अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदिका की ओर से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया जा सका है कि अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत हो । अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	